मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 661/आर–1639/ब–1/10/चार, भोपाल, दिनांक 24 जून, 2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

विषयः–<u>निर्माण कार्यों में व्यय की प्रकिया</u>।

संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार राज्य की संचित निधि से राशि का आहरण राज्य की विधायिका की अनुमति से ही किया जा सकता है। विधानसभा की अनुमति प्राप्त किये जाने के लिये राज्य शासन द्वारा नियत अन्तरालों पर बजट अनुमान प्रस्तुत किये जाते हैं। विधानसभा द्वारा बजट अनुमान पारित होने के बाद व्यय की प्रकिया प्रारंभ की जाती है।

2. मध्यप्रदेश की विधानसभा की प्राक्कलन समिति द्वारा यह अपेक्षित है कि नवीन मद के रूप में प्रस्तावित व्यय के स्वरूप तथा कार्य के स्थल के बारे में भी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिये। इस तरह, प्रस्तावित व्यय का स्वरूप तथा स्थान जहॉ पर राशि व्यय की जानी है, दोनों पर ही विधायी नियन्त्रण प्रभावशील है। इसी के अनुरूप वित्त विभाग द्वारा योजनाओं के परीक्षण हेतु तथा प्रशासकीय अनुमोदन हेतु कार्यकारी निर्देश प्रसारित किये हैं।

3. मध्यप्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति निर्धारित नई सेवा/सेवा के नये साधन हेतु निर्धारित नवीन वित्तीय सीमायें और मापदण्ड वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1242/आर–601/2012/ब–01/चार, दिनांक 30.09.2013 के द्वारा संसूचित की गई है। यह वित्तीय सीमाएं एवं मापदण्ड पृथक–पृथक गतिविधियों के लिये पृथक–पृथक हैं एवं यह अपेक्षित है कि ऐसी गतिविधियों में उपर्युक्त अनुसार निर्धारित व्यय सीमाओं से अधिक व्यय की स्थिति में यह व्यय विशिष्ट रूप से विधान सभा की जानकारी में लाए बिना नहीं किया जाए।

4. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 81/आर–1703/चार/ब–1/ 2011, दिनांक 18.01.2012 के द्वारा आयोजना मद की योजनाओं तथा परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन की प्रकिया निर्धारित

की गई है। यह अपेक्षित है कि आयोजनागत कार्यों में निहित व्यय के आधार पर इस प्रस्तावित व्यय का परीक्षण सक्षम वित्तीय समिति से कराने के पश्चात उसका प्रशासकीय अनुमोदन से अधिक राशि का व्यय न होना सुनिश्चित किया जाए।

5. प्रशासकीय विभाग का यह दायित्व है कि नवीन गतिविधियों में व्यय के पूर्व वर्णित परिपत्रों का अनुसरण किया जाए। राज्य शासन के अन्य विभागों में इन निर्देशों का अनुसरण भी किया जा रहा है परन्तु वन विभाग में इन निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन न होने के उदाहरण समक्ष में आए है।

6. वर्णित निर्देशों की प्रयुक्तता समान रूप से वन विभाग के लिये भी है। अतः वन विभाग की भ्रांति को कतिपय उदाहरणों से इस आशय के साथ स्पष्ट किया जा रहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष से वर्णित निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।

7. सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यक्रम (Programme) एवं कार्यक्रम अंतर्गत गतिविधि/कार्य की स्थितियां सर्वथा पृथक हैं। कार्यक्रम का राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर अनुमोदन के उपरान्त इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यदि आयोजनागत गतिविधि निहित हैं, तब सक्षम वित्तीय समिति से वांछित अनुमोदन अपेक्षित है। सक्षम वित्तीय समिति द्वारा न केवल कार्यक्रम अन्तर्गत होने वाले कार्यों की अनुमानित लागत, संसाधनों की उपलब्धता, संवहनीयता एवं प्राप्त होने वाले परिणामों को विश्लेषित किया जाता है अपितु यह भी आंकलन किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्र में समान वरीयता के साथ लिये जायें। विभाग द्वारा व्यय करते समय यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सक्षम वित्तीय समिति द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन जिस स्थल एवं जिस कार्य के लिये अनुशंसित किया है वह व्यय उसी व्यय उसी अनुरूप किया जाए।

8. उपर्युक्त पैरा 7 की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये राज्य शासन के अन्य कार्य विभागों में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं की ओर ध्यान आकर्षित है :–

(अ) राज्य शासन के कार्य विभागों (यथा, लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) के द्वारा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व प्रारंभिक सर्वेक्षण, क्षेत्र की भौगौलिक, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकता आदि को विचार में लिया जाकर कराया जाता है। इस प्रारंभिक सर्वेक्षण में प्रथमदृष्ट्या उपयोगिता आंकलित होने के पश्चात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाकर सक्षम वित्तीय समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाता है। पूर्व कण्डिकाओं में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन करते हुये परियोजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के उपरान्त कार्य की चरणबद्ध प्रगति

आदि का मूल्यांकन केन्द्रीय लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों की अपेक्षानुसार प्रत्येक निर्माण कार्य की माप (नापजोख) उपयंत्री द्वारा शतप्रतिशत की जानी होती है तथा इस नाप की जांच सहायक यंत्री (अनुविभागीय अधिकारी) एवं संबंधित कार्यपालन यंत्री के स्तर पर भी जांच का प्रतिशत निर्धारित है। इस व्यवस्था के अनुसार वन विभाग में भी वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा शतप्रतिशत माप तथा सहायक वन संरक्षक तथा वन मण्डल अधिकारी द्वारा न्यूनतम प्रतिशत जांच की व्यवस्था रखी जाये।

(आ) प्रश्नाधीन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा कार्य की पूर्णता प्रमाण पत्र सम्यक रूप से वरिष्ठ स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है जिसमें कार्य की भौतिक पूर्णता की स्थिति प्रमाणित की जाती है।

9. कार्यक्रम एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो को निम्नांकित उदाहरणों से स्पष्ट किया जाता है :–

<u>अ– लोक निर्माण</u>

(i) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित), ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड) एक कार्यक्रम निहित है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों की श्रेणी में वर्गीकृत सड़क मार्गों का निर्माण किया जाता है। बजट प्रावधान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना है परन्तु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक सड़क निर्माण के कार्य के लिये सक्षम वित्तीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर बजट में नवीन कार्य/मद के रूप में विशिष्ट रूप से दर्शाया जाता है।

(ii) इसी प्रकार वृहद पुलों का निर्माण, सड़क मार्गों का सुदृढ़ीकरण, मुख्य जिला मार्ग, राजकीय राजमार्ग, न्याय प्रशासन के कार्यालय भवन तथा आवास, अन्य कार्यालय भवन एवं आवास, हवाई पट्टियों का विस्तार एवं निर्माण आदि भी विभाग के कार्यक्रम हैं, जिनके अन्तर्गत बजट प्रावधान एक मुश्त राशि के रूप में है।

<u>ब– जल संसाधन</u> :– वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, बाढ़ नियंत्रण आदि विभाग के कार्यक्रम हैं, परन्तु इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ली जाने वाली विभिन्न सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की पृथक–पृथक योजनाओं के लिये सक्षम वित्तीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर एवं बजट में विशिष्ट रूप से नवीन मद दर्शाकर ही व्यय किया जाता है।

स– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीः– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न पेयजल योजनायें कियान्वित की जाती हैं एवं प्रत्येक पेयजल योजना के लिये पृथक से अनुमोदन एवं बजट में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

10. वन विभाग के बजट में उहारणार्थ निम्नांकित कार्यक्रमों को संदर्भित किया जा रहा है:–

योजना 3730 – वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास :– उपर्युक्त योजना एक कार्यक्रम के स्वरूप की है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा विभिन्न भौगौलिक क्षेत्रों हेतु प्रोजेक्ट के रूप में विभिन्न कार्य लिये जाते हैं। अतः ऐसे प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिये उसकी लागत के परिप्रेक्ष्य में सक्षम वित्तीय समिति से परीक्षण उपरान्त एवं विधानसभा को विशिष्ट रूप से अवगत कराने हेतु परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् व्यय किया जाए।

योजना 5109 – ग्रामों के पुनर्वास हेतु योजनाः– इस कार्यक्रम अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों में स्थित निजी भूमि/सम्पत्ति का अर्जन तथा वहां निवासरत ग्रामीणों का पुनर्वास किया जाता है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा विस्थापन हेतु ग्रामीणों की सहमति के अनुसार ग्रामवार पुनर्वास योजना का कियान्वयन किया जाता है। अतः प्रत्येक ग्राम की भूमि के अधिग्रहण तथा पुनर्वास के लिये परियोजना तैयार की जानी चाहिये जिसका परीक्षण सक्षम वित्त समिति से कराने के उपरान्त आवश्यकतानुसार विधान सभा को विशिष्ट रूप से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

योजना 6397 – नर्सरियों में पौधा तैयारीः– उपर्युक्त योजना एक कार्यक्रम के स्वरूप की है जिसके अंतर्गत विभागीय नर्सरियों में रोपण हेतु पौधे तैयार किये जाते हैं। नई नर्सरी का विकास अथवा संचालन प्रस्तावित होने पर उसे नई परियोजना के रूप में मान्य करते हुये इस पर प्रस्तावित व्यय का परीक्षण सक्षम एवं विधानसभा को विशिष्ट रूप से अवगत कराने के पश्चात् वित्तीय समिति से कराने के उपरान्त आवश्यकतानुसार व्यय किया जाए।

योजना 7882 – कार्य आयोजनाओं का कियान्वयन –संरक्षण समूहः– उपुर्यक्त योजना एक कार्यक्रम के स्वरूप की है जिसके अन्तर्गत शासकीय वनों का प्रबन्धन व गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इन गतिविधियों के तहत विभाग द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में बिगड़े वनों का पुनर्वास व संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्य लिये जाते हैं। अतः ऐसे प्रत्येक प्रोजेक्ट का परीक्षण सक्षम वित्तीय समिति से कराने के उपरान्त आवश्यकतानुसार विधानसभा को विशिष्ट रूप से अवगत कराने के पश्चात् ही राशि का व्यय किया जाए।

11. पूर्व पैराओं में स्पष्ट की गई स्थितियों के प्रकाश में अनुरोध है कि विभाग के अन्तर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृति तथा उन पर किये जाने वाले व्यय के लिये निम्नांकित प्रकिया अपनाई जानी सुनिश्चित की जाए:–

(i) ऊपर वर्णित परिपत्र दिनांक 30.09.2013 के बिन्दु 10 अनुसार रूपये 1.00 करोड़ से अधिक के कार्य नवीन मद के रूप में परिभाषित हैं। ऐसे प्रत्येक कार्य या एक ही प्रकार के कार्य समूह के लिये जो एक ही प्रकार/आकार के हों तथा एक साथ किये जा रहे हों, किया कार्य/कार्य समूह पर कुल लागत/ व्यय विचार में लिया जाए। इसी प्रकार अन्य नवीन सेवाओं के लिये निर्धारित वित्तीय सीमाएं एवं मापदण्ड का पालन किया जाए।

(ii) आयोजना अन्तर्गत नवीन कार्यों/गतिविधियों का प्रशासकीय अनुमोदन ऊपरवर्णित परिपत्र दिनांक 18.01.2012 के अन्तर्गत गठित सक्षम वित्तीय समिति के माध्यम से निर्धारित प्रकिया अपनाते हुये प्राप्त किया जाए।

(iii) नवीन कार्य/गतिविधि पर व्यय के लिये यह आवश्यक होगा कि इस हेतु विशिष्ट रूप से विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त किया जाए। जिसके लिये ऐसे नवीन कार्य/गतिविधि को विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने वाले बजट में व्यय की नवीन मद के अन्तर्गत दर्शाया जाना होगा।

(iv) नवीन कार्य/गतिविधि की स्वीकृति आदेश में इस आशय का प्रमाण–पत्र अंकित किया जाए कि इस स्वीकृति आदेश में सम्मिलित कोई भी व्यय नवीन मद की श्रेणी में नहीं आता है। यदि व्यय नवीन मद की श्रेणी में है तब स्वीकृति आदेश में यह भी उल्लेख किया जाए कि इस हेतु विधानसभा का अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय लिया गया है।

(v) अन्तर्राज्यीय या अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजना व्यय की नवीन मद नहीं होगी, यदि परियोजना का पूरा व्यय विधानसभा में पारित किया गया हो।

(vi) निर्माण कार्य की चरणबद्ध प्रगति का माप लिया जाकर कार्य पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष तथा प्रशासकीय विभाग को पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाए।

12. उपर्युक्त प्रकियाओं का पालन करने हेतु कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित निर्देश संवाहित करने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

अजीत 24.6.16

(ए.पी. श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0 क0 662/आर 1639/चार/ब–1/2010, भोपाल, दिनांक 24/06/2016

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
4. सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन म0प्र0।
12. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश।
14. सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

24.6.2016

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग